न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 218 / 2015
दायर दिनांक : 09 / 09 / 2015
निर्णय दिनांक : 16 / 12 / 2025

उनवान

1. लक्ष्मणदास पिता मोडीदास वैरागी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार एवं उप पंजीयक, भूपालसागर

प्रतिवादी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ़

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामलाल गुर्जर, वकील वादी

: निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :

यह है कि वादी ग्राम कांकरवा तहसील भूपालसागर का रहने वाला है। गांव कांकरवा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में आ0न0 16 16 / 1 रकबा 4 बीघा स्थित है और वादी के विवादग्रस्त आराजियात एलाट हुई थी जो करीब 40 सालों से पूर्व हुई थी उसी समय उपरोक्त वर्णित आराजियात पर काबिज होकर के काश्त कर रहा है। वादी की आराजियात विगत पैमाईश में कर्मचारियों की गलती से बिलानाम रास्ता दर्ज कर दिया है जिसके साबिक आ0न0 16 16 / 1 रकबा 4 बीघा रेवेन्यू रेकार्ड में खातेदारी से वादी के नाम दर्ज थी एवं खातेदारी का नामांतरण स0 741 खुला था जो वादी खातेदारी अधिकार मिल चुका था। पुरानी आ0न0 1616 / 1 रकबा 4 बीघा रेवेन्यू रेकार्ड में खातेदार दर्ज थी परतु विगत पैमाईश के राजस्व कर्मचारियों ने इस आराजियात के नए आ0न0 2217 रकबा 0.33 है0 आ0न0 2218 रकबा 001 है0 आ0चा0 राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है परतु पैमाईश के कर्मचारियों ने आ0न0 2178 रकबा   है0 परंतु गलती से आ0न0 2178 में से 0.52 है0 कम दर्ज कर दी है जो शुद्धा शुद्धी क0स0 8 पर वादी को 0.52 है0 कम दर्ज कर दी है और इस आराजी को बिलानाम रास्ता दर्ज कर दिया है परंतु दूसरा रकबा रास्ते के उपयोग हेतु अलग रहे जिससे रास्ता चालू रहे। इस वाद पत्र में शुद्धा शुद्धी की फोटोप्रति साथ संलग्न है पटवार हल्का कांकरवा एव उप तहसीलदार भूपालसागर की रिपोर्ट संलग्न है। पुरानी खाता की असल जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल, खाता की नकल भी वादपत्र में साथ संलग्न है। पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादी इंद्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिकी जारी फरमावे कि साबिक आराजी न0 16 16 / 1 रकबा 4 बीघा राजस्व रेकार्ड से खातेदारी से दर्ज थी पंरतु विगत पैमाईश के कर्मचारियों की गलती से आ0न0 2178 में रकबा 0.52 है0 कम दर्ज वर्तमान में कर दी है और शुद्धा शुद्धी क0स0 8 पर दर्ज कर रखा है जो वादी के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में खातेदारी से दर्ज कराना आवश्यक है इस वर्तमान आ0न0 2178 में से 0.52 है0 की खातेदारी घोषणात्मक डिकी पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी फरमाया जावे व इसी अमर की डिकी पारित की जावे जिससे वादी रेवेन्यू मे अंकन होकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामिल पैरोकार सरकार उपस्थित आऐ। पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में अंकित किया कि साबित कराने का प्रमाण वादी का है। साबिक कराने का प्रभार वादी का है आराजी न0 2178 रकबा 1.78 किस्म भूमि बिलानाम रकबा है जो आर टी ए एस 16 की प्रतिबंधित भूमियों में आता है। जो आंवटन से अभिप्रेत नही है। वादी में शुद्धा शुद्धी के कमांक 8 पर दर्ज कर रखा है जो डिकी पूर्व में जारी होकर वादी के नाम नामातंरण संख्या 444 दिनांक 16.01.04 आराजी 5081 / 2178 रकबा 0.55 है0 वादी के नाम दर्ज हो चुका है। वादी का वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। वादी को शुद्धा शुद्धी की घोषणात्मक डिकी पूर्व में वाद डिकी हो चुका है शुद्धा शुद्धी के आधार पर दोहरा वाद लाया गया जो अस्वीकार है। 5 से 9 वाद के चरण का जवाब अपेक्षित नही है। 10 माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी को शुद्धा शुद्धी के आशय की घोषणात्मक दावा डिकी पूर्व में जारी हो चुकी है। वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली पर तनकीयात कायम की गई। [illegible] निम्न –

1 आया वादपत्र आ0स0 2178 में से 0.52 है0 की [illegible] की घोषणात्मक डिकी पक्षवादी विरूद्ध प्रतिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.07 18:26:01 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे वादी

2 दादरसी

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी ने श्री लक्ष्मण दास पिता मोडी दास निवासी कांकरवा का शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्षयवादी एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाएं गए। जमाबंदी 2064 – 67 प्रदर्श 1 व 2, शुद्धा शुद्धी की नकल प्रदर्श 3, साबिक जमाबंदी, संवत् 2036–2039 प्रदर्श 4, नामांतरण संख्या 2013 प्रदर्श 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, नक्शाटेस हाल प्रदर्श 7, रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 01.07.10 प्रदर्श 8, नायब तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2010 प्रदर्श 9, रिपोर्ट पटवार हल्का कांकरवा दिनांक 29.07.2010 प्रदर्श 10, रिपोर्ट भू प्रबंध विभाग खसरा प्रदर्श 11, साबिक जमाबंदी दिनांक 19.07.21 प्रदर्श 12, नामांतरण संख्या 741 दिनांक 03.03.85 प्रदर्श 13, खसरा गिरदावरी संवत 2045–2048 प्रदर्श 14, मिलान क्षेत्रफल 19.07.21 प्रदर्श 15, तथा निर्णय दिनांक 16.10.03 प्रदर्श 16, प्रदर्श करवाएं गए। पैरोकार सरकार की जिरह निल। पैरोकार सरकार द्वारा शहादत प्रतिवादी पेश नही करने से साक्ष्य प्रतिवादी व जिरह 20.04.22 को बंद की गई।

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल–साबिक जमाबंदी का अवलोकन किया। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर वाद स्वीकार करने का निवेदन किया उपस्थित पैरोकार सरकार ने पूर्व में प्रस्तुत जवाब अनुसार ही निवेदन करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया। वादी तनकी संख्या 1 को साबित करा पाने में असमर्थ रहने से तनकी संख्या 1 सरकार के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने बहस उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात वादी तन्की अपने पक्ष में साबित नही करा पाएं है। परिणामतः वादी का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.07 18:26:01 IST
Reason: SelfAttested